

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १६१]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर १८, १९७०/भा१ २७, १८९२

No. 161]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 1970/BHADRA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th September 1970

SUBJECT.—Scheme for the licensing of restricted varieties of Indian cotton millmade textiles for export to the USA during the licensing year 1st October 1970 to 30th September 1971.

No. PN(USA Licensing)/1 of 1970.—The Scheme relates to the export of all the 64 ICTA categories of cotton millmade textiles from India to the USA under the quota for the licensing year 1st October 1970 to 30th September 1971.

2. For purpose of licensing, the shipment period will be divided into 2 six monthly periods, 1st October 1970 to 31st March 1971 and 1st April 1971 to 30th September 1971.

3. Exports will be allowed from any port in India.

4. Licences under the Scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of the quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL) on the recommendations of the U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee. This shall apply in the case of exports of ICTA Code No. 009/10 (sheeting carded/combed yarn), ICTA Code No. 18/19 (Print cloth, shirting types, carded yarn), ICTA Code No. 022 (twill and sateen carded yarn), ICTA Code No. 026 (woven fabrics n.e.s.

carded yarn, duck only), ICTA Code No. 026 (Woven fabrics n.e.s. carded yarn, other than duck), ICTA Code No. 028/29 (Pillow cases, carded/combined yarn) ICTA Code No. 30 (Dish towels), ICTA Code No. 31 (towels, other than dish towels), ICTA Code No. 34/35 (bed sheets, carded/combed yarn), ICTA Code No. 36 (bedspreads and quilts), ICTA Code Nos. 41 to 63 (Readymade garments and knitwear) and ICTA Code No. 64 (only in respect of terry napkins, terry wash cloth and terry mops of size 12"×12" or below, carded napkins and table covers).

For the purpose of exports of cotton textiles of ICTA Categories 1 to 8, 11 to 17, 20, 21, 23 to 25, 27, 32, 33, 37 to 40 and 64 (items other than terry napkins, terry wash cloth and terry mops of size 12" x 12" or below, carded napkins, and table covers), the quotas/licences will be issued against individual shipments, by way of endorsements on the shipping bill on first-come-first-served basis subject to the condition that as soon as the ceiling laid down is reached, exports thereunder shall be stopped forthwith.

5. The USA Textiles Licensing Advisory Committee consists of three representatives nominated by the Indian Cotton Mills' Federation and three by the Cotton Textiles Export Promotion Council and one representative each nominated by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, and the Textile Commissioner, Bombay.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the USA Textiles Licensing Advisory Committee.

7. Quotas under each of the above restricted categories will be allotted in terms of the decisions taken from time to time by the USA Textiles Licensing Advisory Committee.

8. All shipments of cotton textiles made during each month from any port in India shall be reported by the exporters concerned to the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, by the 10th of the subsequent month.

9. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per 10,000 square yards will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

10. The USA Textiles Licensing Advisory Committee is empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia*, to provide for the conditions to be complied with by an applicant before he would be eligible to quota.

11. The USA Textiles Licensing Advisory Committee shall also (a) supervise the entire scheme; (b) keep watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee may consider fit from time to time.

12. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE", 5th floor, 9, Methew Road, Bombay-4.

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1970

विषय:—लाइसेंस वर्ष, 1 अक्टूबर, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 के दौरान भारतीय सूती कारखानों द्वारा निमित्त वस्त्रों की प्रतिबंधित किस्मों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिए लाइसेंस योजना ।

संख्या पी० एन० (यू० एन० ए० लाइसेंसिंग)/1, 1970—यह योजना लाइसेंस वर्ष, 1 अक्टूबर, 1970 से 30 सितम्बर 1971 के लिए कोटा के अन्तर्गत सूती कारखानों में निमित्त वस्त्रों की सभी 64 आई० सी० टी० ए० श्रेणियों के भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात से सम्बन्धित हैं ।

2. लाइसेंसों के प्रयोजन के लिए पोत-लदान अवधि को 1 अक्टूबर, 1970 से 31 मार्च 1971 तथा 1 अप्रैल, 1971 से 30 सितम्बर, 1971 की दो छमाहियों में विभाजित किया जाएगा ।

3. भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात की अनुमति दी जायगी ।

4. योजना के अन्तर्गत लाइसेंस, संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिशों पर सूती वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण पत्रों के आधार पर, संयुक्त, पम्प नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा जारी किए जाएंगे । यह आई० सी० टी० ए० कोड सं० 009/10 (चादरों का धुना हुआ/साफ किया हुआ सूत), आई० सी० टी० ए० कोड सं० 18/19 (प्रिंट क्लाय, शटिंग टाइप, धुना हुआ सूत), आई० सी० टी० ए० को सं० 022 (ट्विल तथा साटीन का धुना हुआ सूत), आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 026 (बुने हुए रेशे एन० ई० एस० धुना हुआ सूत, केवल डक), आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 026 (बुने हुए रेशे एन० ई० एस० धुना हुआ सूत, डक से अन्य), आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 028/29 (तकियों के गिलाफ धुना हुआ/साफ किया हुआ सूत), आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 30 (डिश तौलिये), आई० सी० टी० ए० कोड सं० 31 (डिश तौलियों से भिन्न अन्य तौलिये), आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 34/35 (बिस्तरों की चद्दरें धुना हुआ / साफ किया हुआ सूत), आई० सी० टी० ए० कोड सं० 36 (गद्दे तथा रजाईयां), आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 41 से 63 तक (तैयार पोशाकें तथा मोजे) और आई० सी० टी० ए० कोड संख्या 64 (केवल टैरी नैपकिन, टैरीवाश कपड़ा तथा 12" × 12" या कम साइज के टैरी मोप, धुने हुए नैपकिन तथा मेजपोश) के निर्यात के मामलों में लागू होगी ।

सूती वस्त्रों की आई० सी० टी० ए० श्रेणियों 1 से 8, 11 से 17, 20, 21, 23 से 25, 27, 32, 33, 37 से 40 तथा 64 (टैरी नैपकिन, टैरी वाश क्लोथ तथा 12" × 12" या कम साइज का टैरी माप्स धुने नैपकिन तथा मेजपोश मदों को छोड़कर) के निर्यात के प्रयोजन के लिए पोतलदान बिल पर गृहकार्यों के तरीके से "पहले आग्रे पहले पाग्रे" के आधार पर व्यक्तिगत पोत लदानों पर कोटा/लाइसेंस इन शर्तों के अधीन जारी किए जाएंगे कि निर्धारित सीलिंग पर पहुँचते ही निर्यातों को रोक दिया जायगा ।

5. संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति में भारतीय कपास मिल संघ द्वारा, तीन, तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 3 और संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई तथा वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा एक-एक नामित प्रतिनिधि होते हैं।

6. “संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति” की लिखित स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंसों तथा कोटे का हस्तांतरण नहीं होगा।

7. उक्त प्रतिनिधि श्रेणियों में से प्रत्येक के अन्तर्गत कोटे का आवंटन, संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति, द्वारा समय-समय पर किए गए निर्णयों के अनुसार होगा।

8. प्रत्येक महीने के दौरान सूती वस्त्रों के किसी भी भारतीय पतन से किए गए पोत लदानों की सूचना सम्बन्धित निर्यातकों द्वारा आगामी महीने की 10 तारीख तक “सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद” को दी जाएगी।

9. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति 10 हजार वर्ग गज पर 2.50 रुपये के हिसाब से वापस न की जाने वाली शुल्क वसूल की जाएगी। शुल्क की न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी।

10. आवेदक से कोटा प्राप्त करने का पात्र बनने से पहले की शर्तों का पालन कराने के साथ-साथ “संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति” समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है।

11. संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के निम्नलिखित कार्य भी होंगे :—

(ए) पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण (बी) समय-समय पर कार्यपालन की निगरानी रखना (सी) योजना के परिचालन सम्बन्धी विभिन्न मामलों का विवेचन करना तथा निर्णय देना; और (डी) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जो समिति उपयुक्त समझे।

12. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है:—

इंजीनियरिंग सैन्ट्रल, पांचवीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई-4.

आर० जे० रबैलो,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।